19/12/2025

पत्रा० पेश हुई। अधि० उप०/ प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251 'क' के तहत स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखवाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री सचिन यादव R.A.S.)

प्रकरण सं. 10 / 2023

किस्म प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251(क) आर.टी.ए.

निर्णय दिनांक 19.12.2025

1. आस्था सिंह पत्नि विजय सिंह चौधरी जाति जाट निवासी अनिरूद्ध नगर भरतपुर हाल बैलारा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

बनाम

प्रार्थीगण

1. गुट्यारी उर्फ मोहनसिंह पि0 हुब्बलाल जाति जाट निवासी बैलारा नदबई जिला भरतपुर।
2. मिट्ठू सिंह पि0 हुब्बलाल जाति जाट निवासी बैलारा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
3. राजेन्द्र पि0 हुब्बलाल जाति जाट निवासी बैलारा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
4. हैमसिंह पि0 हुब्बलाल जाति जाट निवासी बैलारा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
5. पप्पी पुत्री हुब्बलाल जाति जाट निवासी बैलारा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
6. बलवीरी पुत्री हुब्बलाल जाति जाट निवासी बैलारा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
7. श्यामो पुत्री हुब्बलाल जाति जाट निवासी बैलारा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
8. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार नदबई।

अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता श्री जगवीर सिंह एड (प्रार्थी की ओर से)

श्री फूलसिंह, लक्ष्मण सिंह, अशोक कुमार एड0एडवो0 (अप्रार्थी की ओर से)

उपखण्ड अधिकारी
नदबई भरतपुर (राज.)

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251(ए) आर.टी.ए.

:: निर्णय ::

प्रार्थना पत्र संक्षिप्त में निम्नानुसार है–

1. यह कि आराजी खाता संख्या 543 के आराजी खसरा नंबरान 1309 रकवा 0.10 हैक्टे. व 1311 रकवा 0.27 हैक्टे. किता 02 रकवा 0.27 किता 2 रकवा 0.37 वाके ग्राम बैलारा तहसील नदबई जिला भरतपुर में स्थित है। उक्त आराजी खसरा नं0 1311 रकवा 0.27 हैक्टे. में सिंचाई हेतु पूर्व में कुंआ बना हुआ है। जो कि मौके पर मौजूद है। उक्त आराजी पर वादिनी प्रार्थीया काबिज होकर काश्त कर रही है। उक्त आराजी जिस पर प्रार्थीया काबिज होकर काश्त कर रही है, के खसरा नं0 1311 रकवा 0.27 हैक्टे. की वतरफ पश्चिम से बंदली लगी हुई है जो कि नदबई वाई पास रोड हेतु भूमि अवाप्त अवार्ड के तहत् उपखण्ड अधिकारी नदबई दिशा उत्तर से बंदली (बांध) लगा हुआ है और प्रार्थीया के खसरा नम्बरान 1309, 1311 में उपयोग में आये कृषि संसाधन की आमद रफत उक्त बांध जो आराजी में पश्चिम में लगा हुआ है। उसके सहारे सहारे जाकर नदबई बाई पास अवार्ड भूमि में व रोड में जाकर मिलती है और आज भी वादनी उक्त भूमि कृषि संसाधन के लिए उपयोग उपभोग में लिये जा रहे साधनों की आमद रफत हो रही है।
2. यह है कि मुताबिक रिकॉर्ड प्रार्थीया के खसरा नम्बर 1309 रकवा 0.10 व 1311 रकवा 0.27 इसमें देखा जाये जो खसरा नं0 1311 रकवा 0.27 हैक्टे. की कृषि भूमि जो व तरफ पश्चिम बांध बदली से लगी हुई नदबई वाईपास को अवाप्त अवार्ड उपखण्ड अधिकारी, नदबई द्वारा जो उक्त वाईपास सडक से देखते हुए उक्त बांध सहित भूमि की नापतोल कर उक्त संसाधन की आमद रफत को देखते हुए प्रार्थीया के खसरा नं0 1311 रकवा 0.27 हैक्टे. में लगती है।
3. यह है कि अप्रार्थीगण द्वारा अपने खसरा नम्बर 1782/1301 रकवा 0.07 हैक्टे. वाके ग्राम बैलारा तहसील नदबई की भूमि में उपखण्ड अधिकारी नदबई द्वारा नदबई वाईपास को अवाप्त अवार्ड के तहत् स्वीकृत वाई पास की भूमि में वादनी जो खसरा नम्बर 1311 में वतरफ पश्चिम में से लगते दर्ज बांध से अपने कृषि

उपखण्ड अधिकारी
नदबई भरतपुर (राज०)

संसाधन व मीठे पानी के कुंए जो स्थित है, उसकी आमद रफत में व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा है। वादिनी के खसरा नं0 1311 के पश्चिम तरफ बांध के सहारे चलते हुए उक्त आराजी को रास्ता मुख्य जो नदबई वाई पास है जो उपखण्ड अधिकारी नदबई अवाप्त अवार्ड के तहत स्वीकृत है, को उत्तर की तरफ वाईपास को आमद रफत में उक्त बांध के सहारे जोडा जाता है तथा वादनी के खसरा नं0 1309 व 1331 में कृषि कार्य हेतु आमद रफत के लिए यही एक मात्र रास्ता है अन्यत्र कोई रास्ता नहीं है।

4. यह है कि वादनी द्वारा अपने खसरा नं0 1311 रकवा 0.27 हैक्टे. के वतरफ पश्चिम से लगे बांध जिसके सहारे वादनी अपनी कृषि भूमि में उपयोग में लिये जा रहे कृषि संसाधन की आमद रफत करती है और आज भी कर रही है। वादनी द्वारा अपने निजी ज्ञान एवं मौके की मौजूद स्थिति को देखते हुए वादनी अपने उक्त खसरा नं0 1311 रकवा 0.27 दिशा पश्चिम बांध के सहारे निकलते हुए उपखण्ड अधिकारी नदबई द्वारा वाईपास के तहत अवाप्त अवार्ड के तहत स्वीकृति भूमि जो सीधे नदबई वाईपास रोड पर आकर मिलती है और सीधे उक्त रोड से निकलते हुए वादनी कृषि संसाधन की आमद रफत आज भी हो रही है। चूंकि वादनी उक्त रास्ते में आमद रफत कर रही है चूंकि उक्त रास्ता का हाल जमाबंदी में इन्द्राजात नहीं है इसलिए वादनी को उक्त वाद धारा 251 क आरटीए व धारा 151 जा0दी0 पेश कर रहे है।

5. यह कि वादिनी द्वारा अपने आराजी ,खसरा नं. 1311 रकवा 0.27 है. में रास्ता जो वादनी उक्त खसरा नं. के व तरफ पश्चिम से लगते हये नदबई वाईपास में अपने कृषि संसाधन जो कृषि के आमद रफत में आ रहे है और रास्ते का अपयोग उपभोग कर रही है। वादिनी द्वारा उक्त खसरा नं. 1311 की वतरफ लगे बांध पश्चिम से सट कर जो रास्ता का उपयोग कृषि संसाधन के लिए किया जा रहा है और मौके पर देखा जाए तो अप्रार्थीगण के खसरा नंबर 1782/1301 रकबा 0.07 की भूमि उपखण्ड अधिकारी नदबई द्वारा नदबई बायपास को अवाप्त अवार्ड के तहत देखी जाए तो हम वादिनी मौखिक दावा करती है कि उक्त बांध जो वादिनी के खसरा नंबर 1311 के वतरफ पश्चिम से लगा हुआ है तो तनिक भी नहीं बचती है। परन्तु जैसा कि धारा 251 ए आरटीए व धारा 151 जा0दी0 के प्रावधान के तहत चूंकि उक्त प्रार्थना पत्र बिना तहसीलदार रिपोर्ट के आदेश होना मुनासिब

उपखण्ड अधिकारी
नदबई भरतपुर (राज०)

नहीं है और यदि तहसीलदार रिपोर्ट में यदि अप्रार्थीगण के खसरा नंबर 1782/1301 रकबा 0.07 हैक्ट0 भूमि आती है तो वादिनी अपने खसरा नंबर 1311 के कृषि कार्य हेतु आमदरफत के लिए न्यायालय श्रीमान द्वारा डीएलसी दर के अनुसार कराकर रास्ता कायम करा पाने की अधिकारी है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता करा पाने की अधिकारी है।

6. यह कि अप्रार्थी को स्थायी निषेधाज्ञा से पावंद किया जाए कि वह विवादित आराजी में मदाखलत मजाहमत न करे तथा दीगर व्यक्ति को रहनवयमुन्तकिल न करे व ऐसा कोई कार्य न करे जिससे प्रार्थीया के अधिकारों पर जबाल आए।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से श्री लक्ष्मण सिंह एवं अप्रार्थी संख्या 3 व 4 की ओर से श्री फूलसिंह तथा अप्रार्थी संख्या 5 लगायत 7 की ओर से श्री अशोक कुमार एडवोकेट उपस्थित हुए। अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 7 द्वारा समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त भी जबाव प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया अतः जबाव प्रार्थना पत्र बंद किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से जबाव प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो संक्षिप्त में निम्नानुसार है–

1. यह कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1311 रकबा 0.27 व 1309 रकबा 0.10 किता 2 कुल रकबा 0.37 हैक्टे. वाके ग्राम बैलारा में स्थित होने के अतिरिक्त शेष तथ्य जिस तरीके से वर्णित किये गये है, गलत होने के कारण अस्वीकार है। उक्त खसरा नम्बर 1311 रकवा 0.27 में कोई कुआं मौजूद नहीं है। उक्त खसरा नम्बर में बोंरिग था जो खराब हो चुका है। उक्त खसरा नम्बर के उत्तर या पश्चिम में कोई बांध या बंधली नहीं है। उक्त आराजी में कृषि कार्य ढाके की तरफ यानि की पूरब की तरफ से प्रार्थीया आती जाती है। बाई पास रोड की तरफ से प्रार्थीया कृषि कार्य करने नहीं आती जाती है।
2. यह है कि खसरा नं0 1311 व 1309 ग्राम बैलारा के पश्चिम की तरफ कोई बंधली नहीं है तथा खसरा नम्बर 1311 ग्राम बैलारा में प्रार्थीया का कृषि कार्य हेतु आवागमन का वाईपास रोड नदबई में होकर कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थीया

उपखण्ड अधिकारी
नदबई भरतपुर (राज०)

पूरब की तरफ से अन्य खातेदारान के खेतों में होकर व उसके वाद सरकारी जमीन में होकर अपने उक्त नम्बरों में काश्त करने आती जाती है।

3. अप्रार्थीगण की खातेदारी का खसरा नम्बर 1782/1301 रकवा 0.750 हैक्टे. वाके ग्राम बैलारा तहसील नदबई प्रार्थीया के खसरा नम्बर 1311 ग्राम बैलारा के उत्तर की तरफ है। अप्रार्थीगण के उक्त खसरा नम्बर 1782/1301 में होकर प्रार्थीया का कभी भी आवागमन का रास्ता नहीं रहा है। और न मौजूद है। प्रार्थीया का अपने खेत में आवागमन का रास्ता ढाके की तरफ से मौजूद है। प्रार्थीया के खसरा नम्बर 1311 में कोई कुआं नहीं है। प्रार्थीया का नदबई वाईपास रोड की तरफ से उक्त खसरा नम्बरान 1311 के आने जाने के लिए कोई भी रास्ता मौजूद नहीं है। प्रार्थीया के आवागमन का रास्ता ढाके की तरफ से चला आ रहा है। जो पूरब की तरफ से है।

4. यह है कि प्रार्थना प्रार्थी गलत होने के कारण अस्वीकार है प्रार्थीया के खसरा नम्बर 1311 रकवा 0.27 हैक्टे. ग्राम बैलारा तहसील नदबई के दिशा पश्चिम बांध लगी हुई नहीं है। तथा बाईपास रोड नदबई से उक्त खसरा नम्बर 1311 चिपटैमा भी नहीं है । प्रार्थीया के आवागमन का रास्ता पूरब की ओर से चला आ रहा है। अप्रार्थीगण का खसरा नम्बर 1782/1301 रकवा 0.0750 हैक्टे. प्रार्थीया के खसरा नं0 1311 के उत्तर की तरफ है। जिसमें होकर प्रार्थीया के खसरा नम्बर 1311 के लिए कभी कोई रास्ता नहीं रहा है। जब प्रार्थीया की उक्त खातेदारी के खसरा नम्बर 1311 को कृषि कार्य हेतु खसरा नम्बर 1782/1301 में होकर भी रास्ता नहीं रहा है और न आज है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थीया अप्रार्थी के उक्त खसरा नम्बर में होकर रास्ता कायम करा पाने की अधिकारी नहीं है।अतः जबाव प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र प्रार्थीया अन्तर्गत धारा 251 क आर.टी.ए व धारा 151 जा.दी. मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र 251 ए के समर्थन में प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी संवत 2073–2076 एवं नक्शा ट्रेस खाता संख्या 543 व 321 वाके ग्राम बैलारा तहसील नदबई, पैन ड्राइव एवं फोटो ग्राफ्स पेश किए गए। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी संवत 2073–2076 वाके ग्राम बैलारा तहसील नदबई एवं प्रमाणित प्रतिलिपि नक्शा ट्रेस हाल वाके ग्राम

उपखण्ड अधिकारी
नदबई भरतपुर (राज०)

बैलारा पेश कये गये। अप्रार्थी संख्या 3 व 4 की ओर से नकल खसरा गिरदावरी संवत 2080 खाता संख्या 543 वाके ग्राम बैलारा एवं मौका के फोटोग्राफ पेश किये गये। प्रकरण में न्याय निर्णयन हेतु तहसीलदार नदबई से रिपोर्ट मंगवाई गई। जो निम्नानुसार है–

तहसीलदार नदबई द्वारा उक्त प्रकरण के संबंध में दिनांक 28.03.2025 को तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश की गई जिसके अनुसार दिनांक 21.02.2025 को उभयपक्षकारान की उपस्थिति में मौका देखा गया। प्रार्थीया (वादी) द्वारा अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1309 रकवा 0.10 हैक्टे., खसरा नं0 1311 रकवा 0.27 हैक्टे. वाके ग्राम बैलारा में पहुंच हेतु गैर सायलान की खातेदारी भूमि खसरा नं0 1782/1301 रकवा 0.07 हैक्टे. वाके ग्राम बैलारा जो कि वाईपास पक्की डाबर सडक से लगा हुआ है, में से 6 मीटर चौडा रास्ता संलग्न नजरी नक्शा अनुसार चाहा गया है। वादी की खातेदारी भूमि मौके पर पडत पडी हुइ है जिसमें निर्माण हेतु पत्थर पडे हुए है एवं एक टीन शैड कोठरी बनी हुई है। वादी एवं प्रतिवादी की भूमि ग्राम बैलारा एवं कासगंज की सीमा पर स्थित है। मौके पर उपस्थित गैर सायलान की ओर से एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसके अनुसार बताया गया कि खसरा नं. 1782/1301 रकवा 0.07 हैक्टे. वाके ग्राम बैलारा की भूमि में से होकर वादी द्वारा रास्ता चाहा जा रहा है जबकि 0.07 हैक्टे0 भूमि में प्रतिवादीगण 7 हिस्सेदार है। इस भूमि में रास्ता दिये जाने के पश्चात शेष भूमि ना काविल काश्त हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में खसरा नं0 1782/1301 के स्थान पर उक्त भूमि से लगती हुई भूमि खसरा नं0 521/402 वाके ग्राम कासगंज की भूमि में से होकर रास्ता दिया जा सकता है। उक्त दोनों खसरा की भूमि ग्राम बैलारा एवं कासगंज की मेंढ पर स्थित है। मौके की स्थिति अनुसार खसरा नं0 1782/1301 रकवा 0.07 हैक्टे. एवं खसरा नं0 521/402 रकवा 0.5370 हैक्टे. वाके ग्राम कासगंज दोनों की भूमि में से किसी भी एक खसरा की भूमि में से होकर रास्ता दिया जा सकता है। उक्त दोनों खसरा की भूमि में से होकर वादी की भूमि तक पहुंचने के लिए लगभग समान दूरी 14 मीटर है। वादी की खातेदारी भूमि खसरा नं0 1309, 1311 वाके ग्राम बैलारा तक पहुंचने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। खसरा नं0 521/402 वाके कासगंज पर माननीय राजस्व मण्डल अजमेर एवं खसरा नं0 1782/301 वाके बैलारा पर

उपखण्ड अधिकारी
नदबई भरतपुर (राज.)

न्यायलय सहायक कलक्टर का स्थगन आदेश है। वादी को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता है। मौके पर उपस्थित वादी एवं प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज संलग्न कर मौका रिपोर्ट तैयार की गई है।

हमने प्रार्थी एवं अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस को सुना। प्रार्थी अधिवक्ता की ओर से प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दोहराया गया है । प्रार्थी अधिवक्ता के बहस के दौरान कथन रहे कि आराजी खाता संख्या 543 के आराजी खसरा नंबरान 1309 रकवा 0.10 हैक्टे. व 1311 रकवा 0.27 हैक्टे. किता 02 रकवा 0.27 किता 2 रकवा 0.37 वाके ग्राम बैलारा तहसील नदबई जिला भरतपुर में स्थित है। उक्त आराजी खसरा नं0 1311 रकवा 0.27 हैक्टे. में सिंचाई हेतु पूर्व में कुंआ बना हुआ है। जो कि मौके पर मौजूद है। उक्त आराजी पर वादिनी प्रार्थीया काबिज होकर काश्त कर रही है। अप्रार्थीगण द्वारा अपने खसरा नम्बर 1782/1301 रकवा 0.07 हैक्टे. वाके ग्राम बैलारा तहसील नदबई की. भूमि में उपखण्ड अधिकारी नदबई द्वारा नदबई वाईपास को अवाप्त अवार्ड के तहत् स्वीकृत वाई पास की भूमि में वादनी जो खसरा नम्बर 1311 में वतरफ पश्चिम में से लगते दर्ज बांध से अपने कृषि संसाधन व मीठे पानी के कुंए जो स्थित है, उसकी आमद रफत में व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा है। वादिनी के खसरा नं0 1311 के पश्चिम तरफ बांध के सहारे चलते हुए उक्त आराजी को रास्ता मुख्य जो नदबई वाई पास है जो उपखण्ड अधिकारी नदबई अवाप्त अवार्ड के तहत स्वीकृत है, को उत्तर की तरफ वाईपास को आमद रफत में उक्त बांध के सहारे जोडा जाता है तथा वादनी के खसरा नं0 1309 व 1331 में कृषि कार्य हेतु आमद रफत के लिए यही एक मात्र रास्ता है अन्यत्र कोई रास्ता नहीं है। तहसीलदार से तीन बिन्दूओं पर रिपोर्ट चाही गई थी जो तहसीलदार नदबई द्वारा नियमानुसार तैयार कर भिजवाई गई जिसके अनुसार प्रार्थना पत्र 251 के तहत तीनों बिन्दू बखूवी साबित होते है। खसरा नम्बर 1782/1307 में अतिक्रमण हो रखा है। वैकल्पिक रास्ते को नक्शे द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता है। तहसीलदार नदबई द्वारा राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए रिपोर्ट भिजवाई गई है। अतः श्रीमानजी से प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क के तहत् स्वीकार करते हुए प्रार्थना पत्र अनुसार रास्ता दिये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

उपखण्ड अधिकारी
नदबई भरतपुर (राज०)

अप्रार्थीगण की ओर से अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा अपने जबाव प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया है। अप्रार्थी अधिवक्ता के कथन रहे कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1311 रकबा 0.27 व 1309 रकबा 0.10 किता 2 कुल रकबा 0.37 हैक्टे. वाके ग्राम बैलारा में स्थित है। उक्त खसरा नम्बर 1311 रकवा 0.27 में कोई कुआं मौजूद नहीं है। उक्त खसरा नम्बर में बोंरिग था जो खराब हो चुका है। बाई पास रोड की तरफ से प्रार्थीया कृषि कार्य करने नहीं आती जाती है। अप्रार्थीगण की खातेदारी का खसरा नम्बर 1782/1301 रकवा 0.750 हैक्टे. वाके ग्राम बैलारा तहसील नदबई प्रार्थीया के खसरा नम्बर 1311 ग्राम बैलारा के उत्तर की तरफ है। अप्रार्थीगण के उक्त खसरा नम्बर 1782/1301 में होकर प्रार्थीया का कभी भी आवागमन का रास्ता नहीं रहा है। और न मौजूद है। अप्रार्थीगण का खसरा नम्बर 1782/1301 रकवा 0.0750 हैक्टे. प्रार्थीया के खसरा नं0 1311 के उत्तर की तरफ है। जिसमें होकर प्रार्थीया के खसरा नम्बर 1311 के लिए कभी कोई रास्ता नहीं रहा है। अप्रार्थीगण का खसरा नं. 1782/1301 रकवा 0.07 हैक्टे. वाके ग्राम बैलारा की भूमि में से होकर वादी द्वारा रास्ता चाहा जा रहा है जबकि 0.07 हैक्टे0 भूमि में प्रतिवादीगण 7 हिस्सेदार है। उक्त भूमि में बिजली का खंभा है एवं बीच में से रास्ता दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। अप्रार्थी अधिवक्ता का कहना है कि तहसीलदार नदबई की रिपोर्ट के मुताबिक प्रार्थी के खसरा नम्बर में पत्थर पडे हुए है और भूमि पडत पडी हुई है एवं प्रार्थीगण उद्योग/होटल स्थापित करना चाह रहे है। उक्त आराजी तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है एवं उक्त आराजी पर स्थगन आदेश जारी है एवं उक्त रकवा नगरपालिका में आ चुका है। अतः प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र प्रार्थीया अन्तर्गत धारा 251 क आर.टी.ए व धारा 151 जा.दी. मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

हमने उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थी अधिवक्ता की ओर से अपने प्रार्थना पत्र 251 ए के समर्थन में जमाबंदी संवत् 2073–2076, नक्शा ट्रेस बाके ग्राम बैलारा आदि दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रकरण में न्याय निर्णयन हेतु तहसीलदार नदबई रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार नदबई ने अपनी रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया कि प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा नं0 1309,

उपखण्ड अधिकारी
नदबई भरतपुर (राज०)

1311 वाके ग्राम बैलारा तक पहुंचने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। एवं वादी को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है। प्रार्थी को अपनी आराजी खसरा नम्बरान तक अप्रार्थी के खसरा नम्बर में से पहुंचने के लिए दूरी लगभग 14 मीटर है। प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी की आराजी तक पहुंचने के लिए रास्ता चाहा गया है। तहसीलदार नदबई की रिपोर्ट के मुताबिक प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक पहुच हेतु आराजी खसरा नंबर 1782/301 वाके ग्राम बैलारा में से रास्ता दिया जाना बताया गया है। अतः प्रार्थी को अपने खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 1311 व 1309 तक पहुंच हेतु अप्रार्थीगण के आराजी. खसरा नंबर नंबर 1782/301 वाके ग्राम बैलारा में से 30 फीट रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है। इसके अलावा अन्य कोई लघुत्तम वैकल्पिक रास्ता नहीं होने से खातेदार को आने जाने के लिए सशुल्क रास्ता उपलब्ध कराया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि पर सशुल्क रास्ता दिया जाना उचित हैं। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: : <u>आदेश</u> : :—

अतः आदेश है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा बैलारा पटवार क्षैत्र खेडी देवीसिंह के आराजी नम्बर 1311 व 1309 तक पहुंचने हेतु अप्रार्थीगण के आराजी नम्बर 1782/301 में से तहसीलदार नदबई द्वारा मौका रिपोर्ट अनुसार 30 फीट चौडाई का रास्ता प्रार्थीगण की खातेदारी आराजीयात तक कायम किया जावे। इस प्रकार रास्ते में आने वाली भूमि आराजी खसरा नम्बर 1782/301 जिसकी वर्तमान डी.एल.सी. दर के हिसाब से प्रस्तावित रास्ते का रकबा तय कर नियमानुसार तहसीलदार नदबई द्वारा राशि प्रार्थीगण से वसूल कर खातेदार विपक्षी/अप्रार्थीगण को क्षतिपूर्ति के रूप में दिलाई जावें। उक्त राशि विपक्षी खातेदार आराजी नंबर 1782/301 को अदा करने के पश्चात् इस भूमि को राजस्व रेकार्ड में बिलानाम गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावे। इस रास्तें पर प्रार्थीगण का कोई खातेदारी अधिकार नहीं रहेगा, केवल आने जानें हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला

उपखण्ड अधिकारी
नदबई भरतपुर (राज०)

रखा जावे। इसी अनुसार रास्ता कायम कर तरमीम कर पालना पेश करें। पालना हेतु तहसीलदार नदबई को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 19/12/2025 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(सचिन यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
नदबई भरतपुर (राज०)